भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1495
उत्तर देने की तारीख - 28/07/2026

दिव्यांग कला शक्ति पहल

1495. श्रीमती शांभवी:
डॉ. लता वानखेड़े:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि जुलाई 2026 तक केंद्र सरकार के 90 प्रतिशत भवनों और प्रमुख अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों को पूरी तरह से बाधा-मुक्त बना दिया गया है, यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मंत्रालय ने "एक राष्ट्र-एक कार्ड" का लाभ सुनिश्चित करने करने के लिए 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड सफलतापूर्वक वितरित किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या "दिव्यांग कला शक्ति" पहल के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दिव्यांगजनों की कलात्मक प्रतिभा का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय ने एनएचएफडीसी के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रौद्योगिकी-संचालित छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या नए "राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान" ने चालू तिमाही में इस समुदाय के लिए अपनी उन्नत नैदानिक सेवाएं शुरू कर दी हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): चूंकि, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 40, 41, 44 और 45 के तहत, उपयुक्त सरकार भौतिक वातावरण, परिवहन, सूचना और संचार (उचित प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों सहित), सेवाओं और अन्य सुविधाओं में सुगम्यता के मानक निर्धारित करने और सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है। तदनुसार, केंद्रीय सरकार के

सुगम्य भवनों और सुगम्य प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या से संबंधित डेटा इस विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सुविधा के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पूरे भारत में लागू एक व्यापक योजना - "दिव्यांगजन अधिकार कार्यान्वयन योजना" (सिपडा) अधिनियम, 2016 संचालित करता है। इसका एक घटक - "बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए योजना" (सीबीएफई योजना) है, जिसके माध्यम से नियमों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर मौजूदा सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में बाधा मुक्त वातावरण बनाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख): विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) उप-योजना भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। इस उप-योजना के तहत, एक ऑनलाइन केंद्रीकृत मंच यानी यूडीआईडी पोर्टल https://swavlambancard.gov.in/ स्थापित किया गया है, जहाँ संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिकृत अस्पतालों को पात्र दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड जारी करने के लिए जोड़ा गया है। दिनांक 20.07.2026 तक, अधिकृत अस्पतालों द्वारा इस पोर्टल के माध्यम से देश भर में 1.39 करोड़ ई-यूडीआईडी कार्ड जारी किए जा चुके हैं, और राज्य-वार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

(ग): दिव्य कला शक्ति पहल के तहत कोई समर्पित अंतरराष्ट्रीय मंच-विशिष्ट कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। हालांकि, 'दिव्य कला शक्ति' दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य दिव्यांग कलाकारों को एक मजबूत राष्ट्रीय मंच, व्यापक दृश्यता और आत्मविश्वास बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनकी कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना और प्रदर्शित करना है। इसकी शुरुआत से लेकर अब तक देश भर में कुल 27 दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।

(घ): राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी) का नाम बदलकर राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (एनडीएफडीसी) कर दिया गया है। एनडीएफडीसी, इस विभाग के तत्वावधान में, दिव्यांगजनों के आर्थिक और समग्र सशक्तिकरण के लिए समर्पित एक सरकारी उद्यम है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को स्व-रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास के लिए रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हालांकि, वर्तमान में एनडीएफडीसी तकनीक आधारित छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए दिव्यांगजनों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान नहीं करता है।

(ङ): इस विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान (एनआईएमएचआर), सीहोर ने समुदाय के लिए उन्नत क्लीनिकल और पुनर्वास सेवाएं शुरू की हैं। यह संस्थान मनोरोग, नैदानिक मनोविज्ञान, मनोरोग सामाजिक कार्य, पुनर्वास मनोविज्ञान, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विशेष शिक्षा, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और अन्य पुनर्वास विषयों के माध्यम से बहु-विषयक मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं में ओपीडी-आधारित मनोरोग परामर्श, व्यापक मनो-सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत और पारिवारिक परामर्श, मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, समूह थेरेपी सेवाएं, पुनर्वास योजना, दिव्यांगता प्रमाणन सुविधा, यूडीआईडी सहायता सेवाएं, रेफरल सेवाएं और मानसिक बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों व दिव्यांगजनों के लिए समुदाय-आधारित पुनर्वास पहल शामिल हैं।

अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7139
आंध्र प्रदेश	975717
अरुणाचल प्रदेश	4849
असम	252570
बिहार	753500
चंडीगढ़	13450
छत्तीसगढ	279659
दिल्ली	116754
गोवा	13855
गुजरात	510967
हरियाणा	245475
हिमाचल प्रदेश	112063
जम्मू और कश्मीर	235337
झारखंड	217945
कर्नाटक	955609
केरल	440693
लद्दाख	4376
लक्षद्वीप	1452
मध्य प्रदेश	1026928
महाराष्ट्र	1485529
मणिपुर	17664
मेघालय	35124
मिजोरम	7737
नागालैंड	4329
ओडिशा	977701
पुदुचेरी	25221
पंजाब	389512
राजस्थान	761953
सिक्किम	6066
तमिलनाडु	1062212
तेलंगाना	895198
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	4856
त्रिपुरा	47312
उत्तर प्रदेश	1726304
उत्तराखंड	109517
पश्चिम बंगाल	266569
	13991142
